XI-निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आरक्षण–

निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजो/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओ में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नही होगा।

XII-बॉण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में–

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशो के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:–

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।

उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसा *www.dgme.up.gov.in* पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तो के सम्बन्ध शासनादेश का स्वयं अवलोकन करे।